

पत्रांक / आयु0क0उत्तरा0 / धारा-57-अनुभाग / वाणि0कर / 2012-13 / देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,

(धारा-57 अनुभाग)

देहरादून: दिनांक : 25 जून , 2013

प्रार्थना पत्र संख्या -14501 / 17-01-2013

सर्वश्री एस0एस0एयरकॉन,

पता-प्लाट नं0-13-14, सेक्टर-8 बी, सिडकुल,

हरिद्वार ।

उपस्थिति

- श्री राजीव बहल, सांझीदार फर्म

निर्णय का दिनांक

- जून , 2013

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 के अन्तर्गत निर्णय

व्यापारी द्वारा धारा-57 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह पूछा गया है कि उनके द्वारा रिसीबर या इलैक्ट्रॉनिक पार्ट के बिना डिश एंटीना की बिक्री जाती है। उस पर वैट अधिनियम के अनुसार कर की दर क्या होगी।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार से आख्या प्राप्त की गई एवं अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर श्री राजीव बहल, सांझीदार फर्म उपस्थित हुये। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा जिस वस्तु की बिक्री की जाती है, उसमें इलैक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अतिरिक्त अन्य पूर्ण डिश एंटीना होता है। उनके द्वारा इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि दिल्ली राज्य के कमिश्नर द्वारा इस सम्बन्ध में अपना मत दिया गया है एवं उनके द्वारा इसे " एरियल्स, एंटीनाज एवं पार्ट्स " की प्रविष्टि में मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से करदेय होने का मत दिया गया है।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वैट अधिनियम में दी गई प्रविष्टि का अवलोकन किया गया। अनुसूची II B की प्रविष्टि संख्या-61 के क्रमॉक-9 पर अंकित " एरियल्स, एंटीना एवं पुर्जे " पर 5 प्रतिशत की दर से करदेय है। चूंकि व्यापारी द्वारा जिस वस्तु की बिक्री की जाती है, वह पूर्ण एंटीना नहीं है, किन्तु उसे उसका पुर्जा(पार्ट्स) माना जाएगा। अतः इस पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता रहेगी।

उपरोक्तानुसार धारा-57 के अन्तर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। विनिश्चय/आदेश की एक प्रति आवेदक व्यापारी एवं एक प्रति सम्बन्धित करनिर्धारक अधिकारी को भेजी जाए।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या: धारा-57
आवश्यक कार्यवाही करें
2535
26/6/13
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

